भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2881
उत्तर दिनांक 13/08/2026 को दिया गया

आंध्र प्रदेश के लिए दुर्लभ पृथ्वी धातु गलियारा

2881. श्री विजय चिंताकायला

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या केंद्रीय बजट 2026-27 में आंध्र प्रदेश के लिए घोषित 'दुर्लभ पृथ्वी धातु गलियारे' को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं और इसके अधिसूचित किए जाने की संभावित समय-सीमा क्या है;

(ग) दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (आरईपीएम) योजना को लागू करने की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) राज्य के मोनाज़ाइट-आधारित दुर्लभ पृथ्वी धातु प्रसंस्करण पारितंत्र के समर्थन हेतु गलियारे को समय से प्रचालनात्मक किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क), (ख) व (घ) केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के खनिज-समृद्ध राज्यों में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित विरल मृदा कॉरिडोर स्थापित करने के लिए समर्थन देने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अनुरूप दिशानिर्देश तैयार करने हेतु भारत सरकार के सभी हितधारक मंत्रालयों और चार राज्य सरकारों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है।

(ग) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) एकीकृत आरईपीएम विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए दिनांक 26 नवंबर, 2025 को 7,280 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय द्वारा सिंटरित विरल मृदा स्थायी चुंबक (आरईपीएम) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। उक्त योजना दिनांक 15 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित की गई।

*****